अनुदान संख्या 12 - औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No. 12 – DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*	*46,10,00*	*46,10,00*	*46,09,36*	*-64*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	1198,91,00	1198,97,00	1153,68,66	-45,28,34
पूरक	Supplementary	6,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				47,08,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted –		10,00,00	10,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, अभ्यर्पित राशि (₹4708.00 लाख) ₹4528.34 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹4708.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹4528.34 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	3520.00	3850.85	3823.75	-27.10
पु.	R.	330.85			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	27499.00			
			..	..	..
पु.	R.	-27499.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	45913.00			
पू.	S.	4.00	45617.56	45836.90	+219.34
पु	R.	-299.44			
मुख्य शीर्ष "2885"	Major Head "2885"				
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	26501.00			
पू	S.	1.00	49393.00	49391.00	-2.00
पु.	R.	22891.00			

(II) ₹27548.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹27499.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2007" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹27548.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹27499.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" – "Development of Backward Areas – Subsidies - North East Industrial and Investment Promotion Policy 2007"- due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2852" - "General - Other Expenditure" - savings occurred under the following heads :-

(का) "राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद" - ₹315.04 लाख की बचत (₹552.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(A) "National Manufacturing Competitiveness Council" - saving of ₹315.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹552.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता" - ₹180.00 लाख की बचत (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9001.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना प्रबंधन अभिकरणों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "निवेश संवर्धन स्कीम" - ₹735.35 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-बिज. परियोजना के लिए विभागों द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1328.87 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2010 और मार्च, 2011 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन-निर्माण सामग्री परिषद" - ₹200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹199.00 लाख था।

(खा) "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक" - ₹281.87 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹268.44 लाख था।

(गा) "सामान्य" -

(क) "औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण" -

(i) "केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान" - ₹149.00 लाख।

(ii) "लुगदी और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद" - ₹100.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹69.71 लाख था।

(ख) "औद्योगिक उत्पादकता - राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद" - ₹598.00 लाख।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(B) "Project Based Support to Autonomous Institutions"- saving of ₹180.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9001.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2010) was due to receipt of less claims from Project Management Agencies.

(C) "Scheme of Investment Promotion" - saving of ₹735.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in approvals by Departments for E-Biz. project.

2. (I) The above savings were partly (₹1328.87 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in August, 2010 and March, 2011 under Major Head "2852" - under the following heads:-

(A) "Cement and Non-metallic Mineral Industries – Others - National Council for Cement and Building Materials" - ₹ 200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹199.00 lakhs.

(B) "Consumer Industries – Others - Salt"- ₹281.87 lakhs. Actual excess, however, was ₹268.44 lakhs.

(C) "General" –

(a) "Industrial Education Research and Training"–

(i) "Central Manufacturing Technology Institute"- ₹149.00 lakhs.

(ii) "Development Council for Paper Pulp and Allied Industry" – ₹100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹69.71 lakhs.

(b) "Industrial Productivity - National Productivity Council"- ₹598.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - सचिवालय - औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग" - ₹303.75 लाख का अधिक व्यय (₹3520.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, ग्रेड वेतन का पुनर्निर्धारण किए जाने की वजह से महंगाई भत्ते, बोनस, मानदेय और वेतन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" - पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता" -

(क) "केंद्रीय ब्याज सहायता स्कीम" - ₹2549.17 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में);

(ख) "पूर्वोत्तर के लिए व्यापक बीमा स्कीम" - ₹400.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "औद्योगिक इकाइयों को परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता" - ₹15392.00 लाख का अधिक व्यय (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) "पूंजीगत निवेश संबंधी आर्थिक सहायता" - ₹4544.83 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Industrial Policy and Promotion" – excess of ₹303.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3520.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dearness allowance, bonus, honorarium and salaries owing to refixation of pay, grade pay.

(B) Major Head "2885" - "Development of Backward Areas - Subsidies" -

(a) "Central Interest Subsidy Scheme" - excess of ₹2549.17 lakhs (against nil provision);

(b) "Comprehensive Insurance Scheme for NE" - excess of ₹400.00 lakhs (against nil provision);

(c) "Transport Subsidy to Industrial Units"- excess of ₹15392.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs); and

(d) "Capital Investment Subsidy" - excess of ₹4544.83 lakhs (against nil provision).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.